

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.3(55)नवि/3/2002 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 14-02-2025

आदेश

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में CGD Infrastructure को सुदृढ किये जाने के दृष्टिगत CGS, CNG Station, Decompression Unit (DCU) हेतु भूमि की आवश्यकता रहती है। अतः इस संबंध में सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान भूमि आवंटन नीति-2015 में निम्नानुसार नवीन प्रावधान जोड़े/संशोधन किये जाते हैं:-

1. बिन्दु संख्या 8.1 में उल्लेखित गतिविधियों में CGD Infrastructure के अन्तर्गत City Gas Station (C.G.S.)/CNG Station/ Decompression Unit (DCU) को भी सम्मिलित किया जाता है।
2. Decompression Unit (DCU) हेतु न्यूनतम 300 वर्गमीटर भूमि को वार्षिक किराये के आधार पर भी नगरीय क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान सम्मिलित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
5. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
8. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
11. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
12. अति. निदेशक, नगरीय विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAVI VIJAY
<ravijay26@gmail.com>
Digitally signed by Ravi Vijay
Designation: Deputy
Secretary to Government
Date :14-02-2025 11:38:06